

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन

Posted On: 10 AUG 2017 4:39PM by PIB Delhi

केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विजय गोयल ने आज लोकसभा में कहा कि संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप में युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों को लक्षद्वीप के श्रम एवं प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तय निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जा चुका है। विवरण निम्नानुसार है:

उच्च कुशल श्रमिक - 275 रुपये + परिवर्तित महंगाई भत्ता (प्रतिदिन) और

आकस्मिक श्रमिक - 200 रुपये + परिवर्तित महंगाई भत्ता (प्रतिदिन)

एक लिखित जवाब में उन्होंने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्तमान वर्ष के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित की गई निधि का विवरण दिया:-

1. युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग द्वारा भुगतान किया गया वेतनः-

वर्ष	आवंटित निधि	जारी की गई निधि
2014-15	50,000 रुपये	33,000 रुपये
2015-16	1,00,000 रुपये	93,000 रुपये
2016-17	2,00,000 रुपये	1,34,000 रुपये
2017-18	2,00,000 रुपये	48,000 रुपये (31-07-2017 तक)

2. लक्षद्वीप द्वीप राज्य खेल परिषद् (युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग, कवार् के अंतर्गत संचालित) द्वारा भुगतान किया गया वेतनः-

वर्ष	आवंटित निधि	जारी की गई निधि
2014-15	28,60,000 रूपये	15,59,000 रुपये
2015-16	29,00,000 रूपये	16,43,000 रुपये
2016-17	19,00,000 रुपये	18,41,000 रुपये
2017-18	15,00,000 रुपये	5,33,000 रुपये (31-07-2017 तक)

वीके/प्रवीन/आईपीएस-3343

(Release ID: 1499185) Visitor Counter: 13

f







in